यह निरीक्षण प्रतिवेदन प्रभागीय **वनाधिकारी भूमि संरक्षण वन प्रभाग लैंसडाऊन** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार कया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी कसी भी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय प्रभागीय **वनाधिकारी भूमि संरक्षण वन प्रभाग लैंसडाऊन** के माह 03/2012 से माह 03/2017 तक के लेखा अ भलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री अशोक कुमार मीना, ले0प0, श्री ए0के0 गुप्ता, एवं श्री अंशुमन अग्रवाल, सहायक लेखापरीक्षा अ धकारियों द्वारा दिनांक 01.09.2017 से 08.09.2017 तक श्री पी0के0 गुप्ता, लेखापरीक्षा अ धकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित कया गया।

## भाग-I

1. परिचयात्मकः इस इकाई की वगत लेखापरीक्षा श्री राघवेन्द्र सिंह एवं श्री कुलदीप कुमार, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों द्वारा दिनांक 03.03.2012 से 15.03.2012 तक श्री दीपक जोशी, लेखापरीक्षा अ धकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी जिसमें राजस्व हेतु माह 04/2011 से 02/2012 तक एवं व्यय हेतु माह 04/2011 से 02/2012 तक के लेखा अ भलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा में राजस्व हेतु माह 03/2012 से 03/2017 तक एवं व्यय हेतु माह 03/2012 से 03/2017 तक के लेखा अ भलेखों की जांच की गयी।

2. (i) इकाई के क्रयाकलाप एवं भौगो लक अ धकार क्षेत्र: भूमि संरक्षण वन प्रभाग लैंसडाऊन ।

### (ii) (अ) राजस्व का विवरण:

विगत तीन वर्षो में कार्यालय द्वारा अर्जित राजस्व का व्यौरा निम्नवत है :

| वर्ष | अर्जित राजस्व (रू लाख में) |
|---|---|
| 2014-15 | 1.58 |
| 2015-16 | 0.93 |
| 2016-17 | 5.13 |

**(ii)** बजट का विवरण

वगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

| वर्ष | प्रारम्भिक अवशेष | | स्थापना (रू लाख में) | | गैर स्थापना (रू लाख में) | | अधिक्य (+) | बचत (-) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | स्थापना (`) | गैर स्थापना (`) | आवंटन (`) | व्यय (`) | आवंटन (`) | व्यय (`) | | |
| 2014-15 | --- | --- | 68.47 | 68.47 | 103.00 | 103.00 | - | - |
| 2015-16 | ---- | ---- | 33.40 | 33.40 | 82.77 | 82.77 | - | - |
| 2016-17 | ----- | ----- | 29.31 | 29.31 | 80.52 | 80.52 | - | - |

(स) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त नि ध एवं व्यय ववरण निम्नवत हैः

| वर्ष | योजना का नाम | प्राप्त (रू लाख में) | व्यय (रू लाख में) |
|---|---|---|---|
| 2013-14 | Intensification of Forest management | 211.2 | 170.4 |
| 2014-15 | | 306.8 | 306.8 |
| 2015-16 | | 168 | 168 |
| 2012-13 | एफ0डी0ए0 योजना | 8081 | 3127 |

(यदि लेखापरीक्षा अव ध तीन वर्ष से अ धक हो तो सम्पूर्ण अव ध का बजट आवंटन एवं व्यय ववरण अं कत कया जाय)

**(iii)** इकाई को बजट आवंटन शासन द्वारा कया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मि लत न करते हुए इकाई 'c' श्रेणी की है।

**(iv)** वभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

**(V)** लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा व धः लेखापरीक्षा में प्रभागीय **वनाधिकारी भूमि संरक्षण वन प्रभाग लैंसडाऊन** को आच्छादित कया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वतरण अ धकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी कये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन प्रभागीय **वनाधिकारी भूमि संरक्षण वन प्रभाग लैंसडाऊन** की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है।

**(Vi)** वस्तृत जांच हेतु माह का चयन :- **(**राजस्व एंव व्यय हेतु अलग-अलग बताये**)**

माह 03/2015 एवं 03/2017 के राजस्व एंव व्यय को वस्तृत जांच (राजस्व) हेतु चयनित कया गया।

माह 03/2015 एवं 03/2017 को वस्तृत जांच (व्यय) हेतु चयनित कया गया।

योजना का चयन: यदि हो तो ----------

(जिस योजना का चयन कया गया उसका नाम अं कत कया जाय) का वस्तृत वश्लेषण कया गया। प्रतिचयन .....------..... ..... (प्रतिचयन व ध का नाम अं कत कया जाय) के आधार पर कया गया।

(Vii) लेखापरीक्षा भारत के सं वधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अ धनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा ..... लेखा तथा लेखापरीक्षा वनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

व्यय से संबन्धित

भाग-2 ब

प्रस्तर-**01** सक्षम प्रा धकारी की स्वीकृति प्राप्त कए बिना ही निर्माण कार्य का पूर्ण कराया जाना ₹18.00 लाख।

उत्तराखण्ड अ धप्राप्ति नियमावली 2008 के बिन्दु 43 (ग) के अनुसार कार्य को तब तक प्रारम्भ न कया जाए जब तक क सक्षम प्रा धकारी से प्राक्कलन के आधार पर प्रशासनिक एवं वत्तीय स्वीकृति प्राप्त न कर ली गयी हो।

कार्यालय भू म संरक्षण वन प्रभाग, लैंसडाऊन के अ भलेखों की जांच में पाया गया क प्रभाग द्वारा वर्ष 2012-13 से 2014-15 में ₹18,00,000 की लागत के निर्माण कार्य (सूची संलग्न) बिना सक्षम प्रा धकारी की स्वीकृत के पूर्ण करा दिये गए तथा संप्रेक्षा ति थ (सतम्बर 2017) तक प्रभाग को उक्त निर्माण कार्यों की स्वीकृति सक्षम प्रा धकारी से प्राप्त नहीं हुई थी।

उक्त के संबंध में लेखापरीक्षा द्वारा इं गत कए जाने पर वभाग द्वारा उत्तर दिया गया क उच्च स्तर को स्वीकृति हेतु पत्र प्रे षत कया गया है। स्वीकृति प्राप्त होने पर लेखापरीक्षा को अवगत करा दिया जाएगा।

अतः प्रकरण उच्चा धकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

संलग्नक

| क्रम संख्या | कार्य का नाम | धनरा श |
|---|---|---|
| 1. | वन दरोगा आवास निर्माण (2012-13) | 600000 |
| 2. | वन रक्षक चौकी निर्माण (2013-14) | 600000 |
| 3. | वन रक्षक आवास टाइप I (2014-15) | 600000 |
| योग | | 1800000 |

व्यय से संबन्धित

भाग- 2 ब

प्रस्तर-02 अ धकारियों/कर्मचारियों द्वारा बकाया जमानत की धनरा श जमा न कया जाना ₹0.28 लाख/

कार्यालय प्रभागीय वना धकारी, भू म संरक्षण वन प्रभाग, लैंसडोन के जमानत जमा से संबन्धित अ भलेखों की जांच में पाया गया क निम्न ल खत अ धकारियों/कर्मचारियों द्वारा बकाया जमानत धनरा श जमा नहीं की गयी थी।

| क्रम संख्या | नाम | पदनाम | निर्धारित धनरा श | जमा धनरा श | अवशेष रा श |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | श्री अनुराग जोशी | प्रभारी वन क्षेत्रा धकारी | 20000 | 14000 | 6000 |
| 2 | श्री भजन संह रावत | वन दरोगा | 6000 | 4000 | 2000 |
| 3 | श्री वक्रम संह रावत | वन दरोगा | 6000 | 4000 | 2000 |
| 4 | श्री तीरथ संह रौतेला | वन दरोगा | 6000 | - | 6000 |
| 5 | श्री गोकुल संह | वन दरोगा | 6000 | 4000 | 2000 |
| 6 | श्री उमेद संह | वन दरोगा | 6000 | - | 6000 |
| 7 | श्री राजेश्वर प्रसाद जखमोला | वन दारोगा | 6000 | 4000 | 2000 |
| 8 | श्री राधावल्लभ उनियाल | वन दारोगा | 6000 | 4000 | 2000 |
| योग | | | | | **28000** |

उक्त के संबंध में लेखापरीक्षा द्वारा इं गत कए जाने पर वभाग द्वारा उत्तर दिया गया क जमानत जमा कराने के लए संबन्धित अ धकारियों/ कर्मचारियों से पत्राचार कया गया है। जमानत जमा पूर्ण होने के उपरान्त लेखापरीक्षा को अवगत करा दिया जाएगा।

अतः प्रकरण उच्चा धकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

व्यय से संबन्धित

भाग - 2 ब

प्रस्तर -03 निरर्थक व्यय ₹16.30 लाख।

कसी भी लेंटाना प्रभा वत क्षेत्र से लेंटाना के पूर्ण उन्मूलन के लए उस क्षेत्र का लगातार तीन वर्षों तक निगरानी एवं उपचार के अधीन रहना आवश्यक होता है क्यों क प्रथम वर्ष लेंटाना उन्मूलन के पश्चात भू म में उपलब्ध लेंटाना के बीज प्रकाश एवं नमी के संपर्क में रहकर पुनः पौध के रूप में वक सत हो जाते है जिनके उन्मूलन के पश्चात ही लेंटाना प्रभा वत क्षेत्र का उपचार पूर्ण होता है। इसी कारण से वभाग द्वारा लेंटाना प्रभा वत क्षेत्र के पूर्ण उपचार हेतु लगातार तीन वर्षों तक अलग-अलग दरों से बजट उपलब्ध करवाया जाता है।

कार्यालय प्रभागीय वना धकारी, भू म संरक्षण वन प्रभाग, लैंसडोन के अ भलेखों की जांच में पाया गया क वर्ष 2013-14 में लेंटना उन्मूलन कार्य हेतु 40 हेक्टेयर (प्रथम वर्ष) पर ₹2,00,000 व्यय कया गया तथा वर्ष 2014-15 में 40 हेक्टेयर (द् वतीय वर्ष) ₹80,000 व्यय कया गया कन्तु वर्ष 2015-16 में इस भू म पर तृतीय वर्ष लेंटाना उन्मूलन कार्य हेतु कोई व्यय नहीं कया गया।

वर्ष 2014-15 में लेंटाना उन्मूलन कार्य हेतु 50 हेक्टेयर (प्रथम वर्ष) पर ₹5.58 लाख व्यय कया गया कन्तु वर्ष 2015-16 एवं वर्ष 2016-17 में द् वतीय व तृतीय वर्ष में लेंटाना उन्मूलन कार्य नहीं कया गया।

वर्ष 2015-16 में लेंटाना उन्मूलन कार्य हेतु 65 हेक्टेयर (प्रथम वर्ष) पर ₹7.294 लाख व्यय कया गया कन्तु वर्ष 2016-17 में द् वतीय वर्ष में कोई कार्य नहीं कया गया।

इस प्रकार वर्ष 2013-14 में व वर्ष 2014-15 में 40 हेक्टेयर पर ₹2,80,000 (200000+80000), वर्ष 2014-15 में 50 हेक्टेयर पर ₹5,58,000 तथा वर्ष 2015-16 में 65 हेक्टेयर पर ₹7.924 लाख कुल ₹16,30,400 अलाभकारी व्यय रहा।
उक्त के संबंध में लेखापरीक्षा द्वारा इं गत कए जाने पर वभाग द्वारा उत्तर दिया गया क वन संरक्षक महोदय से लेंटाना के उन्मूलन के लए द् वतीय व तृतीय वर्ष हेतु मांग की गयी थी, कन्तु मांग पूरी न होने के कारण संबन्धित वर्षों में लेंटाना उन्मूलन का कार्य नहीं कराया जा सका।

वभाग का उत्तर मान्य नहीं है क्यों क उच्च स्तर से प्रभाग को आगामी प्रत्येक वर्ष में धनरा श आवंटित हुई थी। प्रभाग द्वारा उच्च स्तर से अनुमति प्राप्त करके प्रथम वर्ष हेतु प्रयुक्त न करके द् वतीय व तृतीय वर्ष हेतु धनरा श का प्रयोग करके लेंटाना का उन्मूलन कार्य कया जा सकता था।

अतः प्रकरण उच्चा धकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

व्यय से संबन्धित

**STAN**

धनरा श ₹60.89 लाख का उपयो गता प्रमाण पत्र प्राप्त न कया जाना।

कार्यालय प्रभागीय वना धकारी, भू म संरक्षण वन प्रभाग, लैंसडोन के लेखा अ भलेखों की जांच में पाया गया क प्रभाग द्वारा कैम्पा योजना के अंतर्गत वर्ष 2012-13 से वर्ष 2016-17 तक व भन्न पंचायतों को ₹60,88,810 (1439800+ 1798000+ 1880000+ 364000+ 607010) की धनरा श उपलब्ध कराई गयी थी। आगे जांच में पाया गया क उक्त वन पंचायतों में से कसी भी वन पंचायत द्वारा उपयो गता प्रमाण पत्र लेखापरीक्षा ति थ (मई 2017) तक प्रभाग को उपलब्ध नहीं कराये गए थे। जब क उपयो गता प्रमाण पत्र उसी वत्तीय वर्ष में प्राप्त कर लए जाने चाहिए थे।

उक्त के संबंध में लेखापरीक्षा द्वारा इं गत कए जाने पर वभाग द्वारा उत्तर दिया गया क उपयो गता प्रमाण पत्र वन पंचायतों से प्राप्त कर लेखापरीक्षा को उपलब्ध करा दिया जाएगा।
अतः ₹60.89
लाख के उपयो गता प्रमाण पत्र वन पंचायतों से प्राप्त न कए जाने का प्रकरण उच्चा धकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

व्यय से संबन्धित

भाग- 2 ब

प्रस्तर -0**4** महिला पौधशाला का उद्देश्य पूर्ण न होने के कारण निरर्थक व्यय **₹**5.02 लाख।

महिला पौधशाला को अनुदान दिये जाने का मुख्य उद्देश्य माहिलाओ के जीवकोपार्जन करने हेतु महिलाओं की आ र्थक स्थिति में सुधार लाना है।

कार्यालय प्रभागीय वना धकारी, भू म संरक्षण वन प्रभाग, लैंसडाऊन के अ भलेखो की जांच में पाया गया क प्रभाग के अंतर्गत वर्ष 2012-13 में 03 महिला पौधशाला कार्यरत थी जिनको ₹ 3,00,000 अनुदान दिया गया था ये तीनों पौधशालए वर्ष 2013-14 से बंद हो गयी थी।

वर्ष 2014-15 में दो महिला पौधशालयों में प्रत्येक को ₹1,50,000 दिया गया था तथा वर्ष 2015-16 में प्रत्येक को ₹ 52,000 अनुदान दिया गया था। वर्ष 2016-17 में एक पौधशाला को ₹ 50,000 अनुदान दिया गया था तथा एक पौधशाला बंद हो गयी।

इस प्रकार योजना का उद्देश्य पूरा न होने के कारण धनरा श ₹5,02,000 (वर्ष 2012-13 में ₹ 3,00,000 वर्ष 2014-15 में ₹1,50,000 वर्ष 2015-16 में ₹52,000) का व्यय निरर्थक रहा।

उक्त के संबंध में लेखापरीक्षा द्वारा इं गत कए जाने पर वभाग द्वारा उत्तर दिया गया क जांचोपरांत नियमानुसार कार्यवाही कए जाने का आश्वासन दिया गया है।
अतः प्रकरण उच्चा धकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-**III**

(इस भाग में वगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का ववरण निम्न प्रारूप में अं कत कया जाय)

<u>राजस्व से संबं धत</u> वगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का ववरण

| निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या | भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या | भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या |
|---|---|---|
| 2002-03 | 0 | 01, 02 |
| 2006-07 | 0 | 01 |
| 2011-12 | 0 | 01, 02, 03 |

वगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

| निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या | प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण | अनुपालन आख्या | लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी | अभ्युक्ति |
|---|---|---|---|---|
| | शून्य | | | |
| | | | | |

व्यय से संबं धतः वगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का ववरण

| निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या | भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या | भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या |
|---|---|---|
| 53/2015-16 | 1 | 1,2 |

भाग-**IV**

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

(1) राजस्व से संबं धत इकाई द्वारा निस्पादित अच्छे कार्य -शून्य

(2) राजस्व से संबं धत इकाई द्वारा निस्पादित अच्छे कार्य -शून्य

भाग-V

आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अव ध में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अ भलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु प्रभागीय **वनाधिकारी भूमि संरक्षण वन प्रभाग लैंसडाऊन** तथा उनके अ धकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथा प लेखापरीक्षा में निम्न ल खत अ भलेख प्रस्तुत नहीं कये गयेः शून्य
2. सतत् अनिय मतताएः लेखापरीक्षा अव ध में निम्न ल खत अ धकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन कया गया

| क्रम सं0 | नाम | पदनाम |
|---|---|---|
| (i) | श्री मान संह | प्रभागीय **वनाधिकारी** |
| (ii) | श्री जी. सोनार | प्रभागीय **वनाधिकारी** |
| (iii) | श्री एन.एम. त्रिपाठी | प्रभागीय **वनाधिकारी** |
| (iv) | श्री ए.के. त्रिपाठी | प्रभागीय **वनाधिकारी** |

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति प्रभागीय वना धकारी, **भूमि संरक्षण वन प्रभाग लैंसडाऊन** को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार (राजस्व), कार्यालय महालेखाकर (लेखापरीक्षा)- उत्तराखंड, देहारादून को प्रेषित कर दी जांय।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अ धकारी